

एडवाइजरी

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल हेतु एडवाइजरी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के उपबंधों के अनुपालन न किए जाने के मामलों का संज्ञान लिया है।

2. इस संबंध में, केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत गठित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) ने यह अवलोकन किया है कि विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित की जा रही सामग्री, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुरूप नहीं है। आईडीसी की बैठक के दौरान समान विषयों पर अनेक चैनलों द्वारा प्रसारित समान समाचारों/दृश्यों के उदाहरण भी देखे गए। अतः आईडीसी ने अनुशंसा की कि सभी प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को टेलीविजन पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने वाले वैधानिक उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी जाए। समिति ने यह भी बल दिया कि अनुपयुक्त व्यवहार अथवा भाषा को प्रसारण के माध्यम से सामान्य नहीं बनाया जाना चाहिए।

3. तदनुसार, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के उपबंधों का अक्षरशः एवं भावनानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में:

I. आतंकवाद-रोधी अभियानों का कवरेज: नियम 6(1)(त) के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा संचालित आतंकवाद-रोधी अभियानों का लाइव प्रसारण निषिद्ध है तथा ऐसे अभियानों के दौरान मीडिया कवरेज को, अभियान की समाप्ति तक, केवल किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली ब्रीफिंग तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। तदनुसार, ऐसे दृश्यों के प्रसारण के समय, जहाँ आवश्यक हो, उन पर स्पष्ट रूप से समय-चिन्ह अंकित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें लाइव प्रसारण समझे जाने संबंधी किसी प्रकार की भ्रामक धारणा से बचा जा सके। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा पूर्व में दिनांक 12.06.2024 तथा 26.04.2025 को भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं।

II. हिंसक अथवा विचलित करने वाले दृश्यों का प्रसारण: चैनल हिंसक, वीभत्स अथवा विचलित करने वाले दृश्यों का प्रसारण करते समय समुचित सावधानी, उत्तरदायित्व तथा संपादकीय विवेक का प्रयोग करें, ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(1)(क) का अनुपालन सुनिश्चित हो, शालीनता एवं मर्यादा के मानकों का उल्लंघन न हो तथा दर्शकों को मानसिक व्यथा या असहजता का सामना न करना पड़े।

III. अपराध एवं हिंसा संबंधी रिपोर्टिंग: अपराध एवं हिंसा से संबंधित दृश्यों का प्रसारण सत्यापित तथ्यों एवं सत्य पर आधारित होना चाहिए तथा उनका प्रस्तुतीकरण संतुलित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नियम 6(1)(घ) के अनुसार जानबूझकर भ्रामक, असत्य, संकेतात्मक अथवा अर्द्धसत्य तथ्यों का प्रसारण न किया जाए। इस संबंध में यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि समाचारों को सनसनीखेज ढंग से प्रस्तुत न किया जाए, जिससे अवैध अथवा सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय आचरण का महिमामंडन अथवा सामान्यीकरण न हो। ऐसे मामलों में नियम 6(1)(क) का अनुपालन करना अनिवार्य है; साथ ही विचलित करने वाले दृश्यों की अत्यधिक पुनरावृत्ति अथवा निरंतर आवर्तन (लूपिंग) से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ उपयुक्त धुंधलापन (ब्लरिंग) अथवा आवरण (मास्क़िंग) तकनीकों का प्रयोग किया जाए, जिससे दर्शकों की शालीनता एवं मर्यादा की भावना को ठेस न पहुँचे। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.01.2023 की एडवाइजरी के माध्यम से भी चैनलों को अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, से संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए अपनी प्रणालियों और कार्य-पद्धतियों को कार्यक्रम संहिता के अनुरूप बनाने की सलाह दी गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित दृश्यों के प्रसारण के दौरान समुचित सावधानी एवं आवश्यक सतर्कता बरती जानी चाहिए ताकि उक्त प्रसारण, कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(ट) तथा 6(1)(ठ) के अनुरूप हो।

IV. प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं/बड़ी दुर्घटनाओं अथवा घटनाओं का कवरेज: प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं/बड़ी दुर्घटनाओं अथवा घटनाओं के कवरेज से संबंधित प्रसारणों में प्रयुक्त दृश्यों पर, जहाँ आवश्यक हो, स्पष्ट रूप से समय-चिन्ह अंकित किया जाना चाहिए, ताकि दर्शकों के बीच अनावश्यक घबराहट उत्पन्न न हो। नियम 6(1)(घ) के अनुरूप रिपोर्टिंग सत्यापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.08.2024 तथा 18.11.2025 को जारी एडवाइजरीज में भी इस पर विशेष बल दिया गया था।

V. भारत के प्रामाणिक मानचित्र का उपयोग: जैसा कि नियम 6(1)(ज) में उपबंधित है राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी प्रसारणों, ग्राफिक्स तथा डिजिटल निरूपणों में, केवल भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के प्रामाणिक मानचित्र का ही उपयोग करें।

VI. सांप्रदायिक सद्भाव और चर्चा कार्यक्रम: कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(ग) तथा नियम 6(1)(ड) में क्रमशः यह उपबंधित है कि कार्यक्रमों में सांप्रदायिक प्रवृत्तियों अथवा राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यक्रम, जिनमें लाइव वाद-विवाद तथा पैनल चर्चाएँ भी सम्मिलित हैं, किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक अथवा राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा अथवा प्रोत्साहन न दें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त संपादकीय नियंत्रण (जिसमें, परंतु केवल इसी तक सीमित न रहते हुए, पैनल सदस्यों/प्रतिभागियों का सावधानीपूर्वक चयन तथा पूर्व-संवेदीकरण सम्मिलित है) सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अपमानजनक, अभद्र अथवा भड़काऊ सामग्री का प्रसारण रोकने के लिए जहाँ आवश्यक हो, वहाँ त्वरित सुधारात्मक उपाय जैसे म्यूट करना, अस्वीकरण (डिस्क्लेमर), बाधित करना अथवा फीड को बंद करना, लागू किए जाने चाहिए। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.06.2023 को जारी एडवाइजरी के माध्यम से भी कार्यक्रम संहिता के अनुपालन पर पुनः बल दिया गया था।

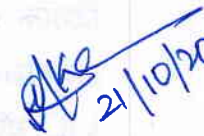
VII. यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा: चैनल यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का प्रकटीकरण न किए जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों तथा लागू विधिक उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत पीड़ित की पहचान प्रकट करने वाले किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विवरण, दूरस्थ तथ्यों, छायाचित्रों, पारिवारिक विवरण, निवास-क्षेत्र अथवा ऐसी किसी अन्य सूचना का प्रकटीकरण न करना भी सम्मिलित है, जिससे पीड़ित की पहचान उजागर होने की संभावना हो। इस संबंध में भी मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2024 को जारी एडवाइजरी के माध्यम से पुनः बल दिया गया था।

4. चैनलों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके उपकरणों-विशेषकर जेनरेटिव एआई (जैसे, परंतु केवल इसी तक सीमित न रहते हुए ग्राफिक्स निर्माण, वर्चुअल समाचार प्रस्तुति आदि) के प्रयोग में विशेष सतर्कता बरतें। कार्यक्रम संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, समाचार सामग्री की सटीकता, प्रामाणिकता और संवेदनशीलता से समझौता किए बिना एआई उपकरणों का प्रयोग केवल सहायक क्षमता तक ही सीमित रखा जा सकता है।

5. प्रसारकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी संपादकीय और सामग्री-समीक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि समाचार-संग्रहण, संपादन, निर्माण, प्रसारण और कार्यक्रमों के टेलीविजन पर प्रसारण से जुड़े सभी कार्मिक कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील हों। प्रसारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कार्यक्रम संहिता का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी संपादकीय और निर्माण टीमों हेतु नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संवेदनशीलता सत्रों का आयोजन करें।

6. यह दोहराया जाता है कि सांविधिक दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। कार्यक्रम संहिता के किसी भी उल्लंघन पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

 21/10/2026

(अर्पिता एस.)

उप सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-विनियामक निकाय।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संघ/निकाय।
3. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल।
4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट।